जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294-2420064, 0294-2420237

ई-मेल: divcomm-udai-rj@nic.in

क्रमांक:एफ 17 / 14 / आर.टी.आई. / प्रथम अपील / 2025 / 2533 दिनांक: 29 / 08 / 2025

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा-19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
अपील संख्या-06 / 2025

श्री शंभुलाल धोबी पिता रोडा धोबी
निवासी इटाली, तहसील गावली,
जिला उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर — प्रत्यर्थी

निर्णय

उक्त अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (लोक सूचना अधिकारी) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2025 पर सूचना प्राप्त नहीं होने पर, अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष दिनांक 31.07.2025 को प्रस्तुत की गई।

1. **प्रार्थना पत्र एवं अपील का विवरण :-**

1.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक	06.03.2025
2.	प्रार्थना पत्र का जबाब / सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक	25.03.2025
3.	लोक सूचना अधिकारी, जिसने जबाब प्रेषित किया / किया जाना है	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
4.	प्रथम अपील प्राप्ति दिनांक (संभागीय आयुक्त, उदयपुर में)	31.07.2025
5.	प्रथम अपील सुनवाई दिनांक	18.08.2025
6.	प्रथम अपील निर्णय दिनांक	29.08.2025

2. **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-** सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.03.2025 से निम्न सूचना चाही गई -

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना
1.	लोक सुनवाई अधिकारी संभागीय आयुक्त, उदयपुर परिसर उदयपुर को दिये परिवाद दिनांक 31.12.2024 की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत है। उक्त परिवाद पर कार्यालय द्वारा कराई गई कानूनी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237

ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

2.	लोक सुनवाई अधिकारी जिला कलक्टर को दिये परिवाद 31.12.2024 की प्रति आवेदन के साथ पेश है। उक्त परिवाद पर जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा कराई गई कानूनी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
3.	लोक सुनवाई अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय शासन सचिवालय, जयपुर को दिनांक 31.12.2024 को दिये परिवाद की प्रति आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त आवेदन पर मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा कराई गई आज दिनांक तक की कानूनी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
4.	कार्यालय ग्राम पंचायत इंटाली को वर्ष 2000 से 2025 तक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कितना बजट किस–किस मद में कितना–कितना प्राप्त हुआ। उस बजट को किन आधारों पर ग्राम पंचायत इंटाली द्वारा कहां–कहां खर्च हुआ, किस एजेन्सी के माध्यम से खर्च हुआ उन बिलों सहित आय–व्यय रजिस्टर प्रस्तावों की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

3. **प्रकरण का निर्णयः–**

इस कार्यालय में पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात अपील दर्ज की गई एवं अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई दिनांक 18.08.2025 को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया। सुनवाई में अपीलार्थी उपस्थित एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर उपस्थित रहे।

लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत चाही गई वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराया कि प्रार्थी का सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन के बिन्दु संख्या 1 संबंधी सूचना हेतु वांछित शुल्क जमा होने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.03.2025 से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना प्रेषित की गयी। शेष सूचना बिन्दु संख्या 02 से 04 जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर से संबंधित होने से इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.03.2025 से प्रार्थना पत्र अंतरित किया गया।

प्रार्थी का कथन है कि दिनांक 20.03.2025 से नियमानुसार शुल्क जमा होने के उपरान्त भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में प्रार्थी को सूचना प्राप्त नहीं होने से उनके दूरभाष पर कॉल / सूचित किया गया तत्पश्चात प्रार्थी के स्वयं उपस्थित होने पर दिनांक 07.08.2025 को वांछित सूचना प्रदान की गयी।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420004, 0294–2420237
ई–मेल: divcomm-udai-rj@nic.in

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचित किया जा चुका है तथा प्रार्थी को इस कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत देय सूचना उपलब्ध करा दी गयी है तथा प्रथम अपील दर्ज होने के बाद दिनांक 07.08.2025 को सूचना पुनः प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है। अतः अपील वांछित सूचना प्राप्त हो जाने से आज दिनांक 29.08.2025 को खारिज की जाती है।

अगर अपीलार्थी उक्त आदेश से असंतुष्ट है तो माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना डूंगरी जयपुर में 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी) IAS
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)

प्रतिलिपिः–

1. श्री शंभुलाल धोबी पिता रोडा धोबी, निवासी इटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर।

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)